रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022024-252303
CG-DL-E-22022024-252303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2024/फाल्गुन 3, 1945
No. 114]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2024/PHALGUNA 3, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 125(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप धारा (1), उपधारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 का, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है),के नियम 2 के, उपनियम (1) में,-

(i) खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(टक) "स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है और पद स्वामी के अंतर्गत विधिक वारिस आता है;

(ii) खंड (डख) के पश्चात,निम्नलिखित खंड अंत:स्थापितकिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङग) 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' (जिसे इसमें इसके पश्चात एसोसिएशन कहा गया है) से सहकारी समूह आवासीय सोसायटी, बहुमंजिला इमारत, आवासीय कॉलोनी या राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्रीकृत समान निकाय में आने वाले सभी संपत्ति के स्वामियों का एक एसोसिएशन, अभिप्रेत है।"

3. मूल नियम के, नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(11) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन को जमा करने के पश्चात, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नए कनेक्शन उपलब्ध कराने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन की अधिकतम अवधि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी जो मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में तीन दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कि पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, नए कनेक्शन याविद्यमान कनेक्शन के संशोधन के लिए अधिकतम समय अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां ऐसी आपूर्ति के लिए वितरण मेन के विस्तार, या नए उप-स्टेशनों को शुरू करने की आवश्यकता हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्तार या शुरुआत के तुरंत पश्चात् नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसरों में विद्युत की आपूर्ति करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'पहाड़ी इलाके वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों'से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।"

(ii) उप-नियम 13 के पश्चात्निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(14) एसोसिएशन के अधीन आने वाले क्षेत्र के भीतर:

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे एसोसिएशन में अधिकांश घर या फ्लैट के स्वामियों की पसंद के आधार पर या तो एसोसिएशन के लिए एकल बिंदु कनेक्शन या प्रत्येक स्वामी के लिए अलग कनेक्शन देगा तथा विकल्प का अभिनिश्चय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोजित किए जाने वाले पारदर्शी मतदान के माध्यम से किया जाएगा;

परंतु यह कि यदि पचास प्रतिशत से अधिक स्वामीव्यक्तिगत कनेक्शन पसंद करते हैं तो प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत कनेक्शन दिया जाएगा।

(ख) मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण निम्न के लिए पृथक रूप से की जाएगी:-

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त व्यक्तिगत विद्युत की खपत,

(ii) एसोसिएशन द्वारा आपूर्ति की गई बैकअप विद्युत की व्यक्तिगत खपत; और

(iii) ऐसे एसोसिएशन के सामान्य क्षेत्र के लिए विद्युत की खपत जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त होती है।

(ग) एकल बिंदु कनेक्शन की दशा में मीटरिंग,बिलिंग और संग्रहण के लिए एसोसिएशन उत्तरदायी होगा तथा व्यक्तिगत कनेक्शनों के लिए, ये उत्तरदायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निहित होंगे।

(घ) एकल बिंदु कनेक्शन की दशा में:

(i) व्यक्तिगत विद्युत की खपत के लिए एसोसिएशन द्वारा प्री-पेमेंट मीटर के माध्यम से काटे गए प्रभार या बनाए गए बिल, बिना लाभ-हानि के आधार पर होंगे।

(ii) एसोसिएशन को एकल बिंदु कनेक्शन देने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी का टैरिफ, लो टेंशन घरेलू प्रवर्ग हेतु औसत बिलिंग दर से अधिक नहीं होगा।

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत के लिए एसोसिएशन द्वारा की गई कुल बिलिंग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त कुल टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iv) व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उपगत उप-वितरण नेटवर्क लागत हेतु समुचित आयोग द्वारा विहित अतिरिक्त रकम प्रभारित की जा सकती है।

(15) किसी एसोसिएशन या किसी एसोसिएशन में फ्लैट या घर के स्वामी या किसी अन्य उपभोक्ता के अनुरोध पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणाली के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अलग कनेक्शन प्रदान करेगा;

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कनेक्शन को प्रदान करने की समय-सीमा नियम 4 के उप-नियम 11 के अनुसरण में होगी।

4. मूल नियमों के, नियम 5 में उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटरों का परीक्षण, उपभोक्ता से उसकी मीटर रीडिंग विद्युत की खपत के अनुरूप नहीं होने, मीटर के रुकने, सील के क्षतिग्रस्त होने, मीटर के जलने या क्षतिग्रस्त होने और ऐसी किसी घटनाओं के बारे में शिकायत प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा:

परंतु यह कि किसी उपभोक्ता द्वारा मीटर रीडिंग उसकी विद्युत की खपत के अनुरूप नहीं होने के संबंध में शिकायत की दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर, खपत को सत्यापित करने के लिए, तीन महीने की न्यूनतम अवधि हेतु एक अतिरिक्त मीटर संस्थापित करेगा।"

5. मूल नियमों के,नियम 11 में,-

(।) उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7)रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिक प्रणाली की संस्थापना के लिए, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन पंद्रह दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और अध्ययन का परिणाम आवेदक को सूचित किया जाएगा, ऐसा न हो सकने पर यह माना जाएगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

(7 क)10 किलोवाट क्षमता तक की रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिकप्रणालियों के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों को तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकार किया गया माना जाएगा और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में कोई भी आनुपातिक वृद्धि, जो भी आवश्यक हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी।";

(ii) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

(8) उप-नियम (7क) के अध्यधीन, व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन या आवेदन की मानित स्वीकृति से लेकर संस्थापना के पूरा होने तक की समय अवधि के दौरान,यदिसोलर फोटो वोल्टिक प्रणाली की आवश्यक क्षमता की संस्थापना के लिए वितरण अवसंरचना के उन्नयन, जैसे, सेवा लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता और इस प्रकार की अवसंरचना में यदि वृद्धि की कोई आवश्यकता हैतो,यथास्थिति, इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह कि 5 किलोवाट की क्षमता तक या राज्य आयोग द्वारा विहित उच्चतर क्षमता तक रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिक प्रणालियों की संस्थापना को सुकर बनाने के लिए आवश्यकतानुसार, वितरण ट्रांसफार्मर सहित, वितरण अवसंरचना को सुदृढ करने की लागत,वितरण अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकता में शामिल की जाएगी।

(iii) उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा,अर्थात्:-

"(9) सोलर फोटो वोल्टिक प्रणाली की संस्थापना के पश्चात, उपभोक्ता ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संस्थापना प्रमाण पत्र जमा करेगा और ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारीसंस्थापना प्रमाणपत्र जमा होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कनेक्शन करार पर हस्ताक्षर, मीटर की संस्थापना और रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिक प्रणाली की सफल शुरुआत को पूरा करेगा।

(9क) कनेक्शन करार और संस्थापना प्रमाण पत्र के प्रारूपों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब-पोर्टल पर रखा जाएगा।

[फा. सं. 23/05/2020-आरएंडआर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 818(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा संख्याक सा.का.नि. 437 (अ), तारीख14 जून, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

G.S.R. 125(E)..—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Rights of Consumers) rules, 2020 (here in after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ka) "owner" means the person who is having absolute right over the property and the expression owner includes the legal heirs';

(ii) after clause (mb), the following clause shall be inserted, namely:-

"(mc) 'Resident Welfare Association' (here in after referred to as the Association) means an association comprising all the property owners within a Co-operative Group Housing Society, Multi storied Building,Residential Colony, or a similar body registered with the State Government."

3. In the principal rules, in rule 4,-

(i) for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(11)The Commission shall specify the maximum time period, after submission of application complete in all respects, not exceeding three days in metropolitan areas, seven days in other municipal areas and fifteen days in rural areas, within which the distribution licensee shall provide new connection or modify an existing connection:

Provided that for rural areas of States and Union Territories having hilly terrain, the maximum time period for new connection or modification of an existing connection, after submission of application, complete in all respects, shall not exceed thirty days:

Provided further that where such supply requires extension of distribution mains, or commissioning of new sub-stations, the distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning within a period not exceeding ninety days.

Explanation: For the purposes of this rule, the term 'States and Union Territories having hilly terrain' means the States of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura,Uttarakhand,Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh."

(ii) after sub-rule 13, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(14) Within the area covered under an Association:

(a) The distribution licensee shall provide either a single point connection for the Association or individual connections for each and every owner, on the basis of choice of the majority of the houseor flat owners in such Association and the choice shall be ascertained by means of a transparent ballot to be held by the distribution licensee;

Provided that if more than fifty percent of the owners prefer individual connection then individual connection shall be given to each owner.

(b) the metering, billing, and collection shall be done separately for

(i) individual electricity consumption sourced from the distribution licensee;

(ii) individual consumption of back up power supplied by the Association; and

(iii) electricity consumption for common area of such Association sourced from the distribution licensee.

(c) In the case of a single point connection, the Association shall be responsible for metering, billing, and collection and for individual connections, these responsibilities shall vest with the distribution licensee.

(d) In the case of a single point connection:

(i) the charges deducted through pre-payment meters or bills raised by theAssociation for individual electricity consumption shall be on no-profit-no-loss basis.

(ii) the distribution licensee's tariff for single point connection to Associations shall not exceed the average billing rate for low tension domestic category.

(iii) the total billing done by Association for the electricity supplied by the distribution licensee shall not exceed the overall tariff paid to the distribution licensee.

(iv) an additional amount as prescribed by the Appropriate Commission may be charged towards the sub-distribution network cost incurred for providing electricity up to the premises of the individual consumer."

(15) On the request of an Association or an owner of the flat or house in an Association or any other consumer, the distribution licensee shall provide a separate connection for supply of electricity for Electric Vehicle charging system;

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that the time line for providing this connection shall be in accordance with the sub-rule 11 of Rule 4.".

4. In the principal rules, in rule 5, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) The testing of meters shall be done by the distribution licensee within thirty days of receipt of the complaint from the consumer about their meter readings not being commensurate with his consumption of electricity, stoppage of meter, damage to the seal, burning or damage of the meter, and the like:

Provided that in case of complaint by a consumer regarding meter reading not being commensurate with his consumption of electricity, distribution licensee shall install an additional meter within five days from the date of receipt of the complaint, to verify the consumption, for a minimum period of three months."

5. In the principal rules, in rule 11,-

(i) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) For installation of roof top solar photo voltaic systems, the technical feasibility study shall be completed within a period of fifteen days and the outcome of the study shall be intimated to the applicant, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

(7A) The applications for roof top solar photo voltaic systems upto 10 kW capacity, complete in all respects shall be deemed to have been accepted without requiring technical feasibility study and any commensurate enhancement of the sanctioned load of the consumer, as may be required, shall be carried out by the distribution licensee.";

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(8) subject to sub-rule (7A), during the time period from the feasibility study or deemed acceptance of the application till the completion of installation, in case, there is any requirement of upgradation of distribution in frastructure like

augmentation of service line, distribution transformer capacity, and the like for installation of the required capacity of roof top solar photo voltaic system, the same shall be carried out by the distribution licensee or consumer, as the case may be:

Provided that the cost of strengthening the distribution infrastructure, including distribution transformer, as necessary, to facilitate the installation of roof top solar photovoltaic systemsup to a capacity of 5 kW or a higher capacity as prescribed by the State Commission, shall be included in the revenue requirement of the distribution licensee.

(iii) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(9) After installation of roof top solar photovoltaic system, the consumer shall submit the installation certificate to such distribution licensee and such distribution licensee shall complete signing of connection agreement, installation of meter and successful commissioning of the roof top solar photovoltaic system within fifteendays from the date of submission of the installation certificate**.**

(9A)The Formats of connection agreement and installation certificate shall be placed on web-portal of the distribution licensee."

[F. No. 23/05/2020-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide n*umber G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020 and was last amended vide number G.S.R. 437(E), dated 14thJune, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA